कार्यालय कलेक्टर (भू – अभिलेख शाखा) जिला रायगढ (छ0ग0)

क्रमांक 951 /भू.अ.लि./2019 रायगढ दिनांक 25/07/2019

प्रति,

सचिव

छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छ0ग0 राज्य सडक परियोजना (ए.डी.बी. लोन –3) के अंतर्गत धरमजयगढ कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य मे आने वाले राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भ :– परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी लोन 3) छत्तीसगढ विकास परियोजना लो. नि. वि. बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 350/तक/ल–3/ए.डी.बी../2017–18 बिलासपुर दिनांक 08/3/2018।

...............00..............

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। परियोजना प्रबंधक (ए.डी. बी. लोन –3) छत्तीसगढ विकास परियोजना लो. नि. वि. बिलासपुर द्वारा रायगढ जिले के धरमजयगढ – कापू मार्ग कुल लंबाई 32. 87 कि. मी. के उन्नयन एवं पुनर्निमाण कार्य के लिये प्रस्तावित ए.डी. बी. परियोजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उक्त परियोजना मे प्रभावित कुल राजस्व वन भूमि 4.832 हे. जो अभिलेख मे बडे झाड के जंगल मद मे दर्ज है को गैर वानिकी प्रयोजन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध मे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ द्वारा निम्नांकित भूमि के लिये आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने मे किसी प्रकार का आपत्ति नही होने को लेख किया गया है।

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व वन भूमि		प्रभावित रकबा (हे. मे)	भूमि का मद
			खसरा नंबर	कुल रकबा		
1	2	3	4	5	6	7
1	धरमजयगढ	धरमजयगढ	1303/1क/1	2.263	0.434	बडे झाड का जंगल
			1304/1क/1	8.044	0.650	बडे झाड का जंगल
			1310/1क/1	24.850	0.344	बडे झाड का जंगल
			1311/1क/1	165.967	0.902	बडे झाड का जंगल
2		मिरीगुडा	558/1क	12.031	0.830	बडे झाड का जंगल
			558/9क 560/1क	60.813	1.132	बडे झाड का जंगल
			209/1क	11.096	0.540	बडे झाड का जंगल
महायोग		02	08		4.832	

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधिन भू – खण्ड बडे झाड के जंगल मद की भूमि को गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कर उपयोग मे लाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय को आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने को तात्पर्य यह कदापी नही माना जावेगी की उपर्युक्त भूमि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर
रायगढ (छ.ग.)

पृ.कमांक 951 'A' / भू.अ.लि. / 2019 रायगढ दिनांक 25/07/2019

प्रतिलिपी :–

(1) वन मंडलाधिकारी वन मंडल धरमजयगढ को सूचनार्थ ।

(2) कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) छ0ग0 सडक विकास लो. नि. वि. बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
रायगढ (छ.ग.)